

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (बसिया)

आदेश

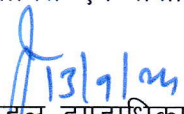
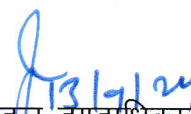
वाद सं० 33/2016

धारा 107 दं०प्र०सं०

प्रथम पक्ष — मतियस बारला वगै०

बनाम

द्वितीय पक्ष — लुईस बारला वगै०....

आदेश की क्र०सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
	अभिलेख उपस्थापित :- थाना कामडारा के अप्राथमिकी संख्या 14/2016 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रथम पक्ष— (1) मतियस बारला उम्र 59 वर्ष पिता— स्व० मझिला जोहन बारला (2) जोसेफ बारला उम्र 46 वर्ष पिता— मतियस बारला (3) जेवियर बारला उम्र 37 वर्ष पिता— मतियस बारला (4) सागेन बारला उम्र 25 वर्ष पिता— मतियस बारला (5) अशोक बारला उम्र 30 वर्ष पिता— सुलेमान बारला सभी साकिन —रैबा, बरटोली थाना— कामडारा द्वितीय पक्ष— (1) लुईस बारला उम्र 38 वर्ष पिता— स्व० थोमस बारला (2) सियुस बारला उम्र 28 वर्ष पिता— स्व० थोमस बारला (3) बरनावास बारला उम्र 25 वर्ष पिता— डुमास बारला तीनों सा०— रैबा, बरटोली (4) भिमसेन्ट तोपनो पिता—स्व० मार्टिन तोपनो सा०— किसनी, बड़काटोली सभी थाना— कामडारा जिला— गुमला के बीच भूमि संबंधित विवाद है। फलस्वरूप उभय पक्ष के द्वारा शांति एवं विधि व्यवस्था भंग होने की सम्भावना को लेकर वाद लाया गया था। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि उक्त वाद की कार्रवाई अवधि में उभय पक्षों के बीच किसी प्रकार की शांति भंग एवं विधि व्यवस्था भंग होने की सूचना अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी है। उक्त वाद की कार्रवाई अभिलेख एवं ऑनलाईन में बंद नहीं होने के कारण आज दिनांक <u>13/09/2024</u> को उक्त वाद के अभिलेख एवं ऑनलाईन में बंद किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित।  13/9/24 अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)  13/9/24 अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)	